न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 111/2020

अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

हरीश ताखर पुत्र श्री बृजमोहन जाति जाट उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) — वादी

बनाम

1. बृजमोहन पुत्र श्री गिरधारीलाल जाति जाट निवासी गांव नेतेवाला तह. व जिला श्रीगंगानगर
2. मनमोहिनी पुत्री श्री बृजमोहन जाति जाट निवासी गांव नेतेवाला तह. व जिला श्रीगंगानगर
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

— प्रतिवादीगण

–: उपस्थिति अधिवक्तागण :–

1. श्री ऋषिपाल जोशी –वादी
2. श्री विजय कुमार भाटी – प्रतिवादी संख्या 1 व 2
3. पैरोकार राज –प्रतिवादी 3

–:: निर्णय ::–

दिनांक 08.01.2021

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में अंकित तथ्यानुसार प्रतिवादी संख्या 1 बृजमोहन, वादी के पिताजी, प्रतिवादी संख्या 2 वादी की बहन है। चक 2 एच एच द्वितीय पटवार हल्का नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 49/35 के मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 8 से 12, 19 से 22 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 2.277 है. नहरी कृषि भूमि वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 बृजमोहन पुत्र गिरधारीलाल के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादी के दादाजी गिरधारीलाल पुत्र खेतपाल के द्वारा अपने जीवनकाल में किए गए विरास्तन सम्पति के बंटवारा के नामान्तरण संख्या 18 दिनांक 23/12/2005 के द्वारा प्राप्त हुई है, जिसमें वादी का जन्म से ही हक व अधिकार निहीत है जिसे वादी घोषित करवाने का अधिकारी है। चक 2 एच एच द्वितीय के खाता संख्या 49/35 के जमाबन्दी एवं नामान्तरण संख्या 18 की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न वाद पत्र है। प्रतिवादी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

के एक पुत्र (हरीश ताखर {वादी}) है तथा एक पुत्री (मनमोहिनी (प्रतिवादी संख्या 2) है इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई सन्तान नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने पारस्परिक सहमति से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि का निम्न प्रकार घरेलू बंटवारा किया हुआ है :–

बंटवारा अनुसार रकबा प्राप्तकर्ता	रकबा का विवरण
हरीश ताखर पुत्र बृजमोहन जाति जाट निवासी गांव नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)	चक 2 एच एच द्वितीय पटवार हल्का नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 49/35 के मुरब्बा नम्बर 6 की कुल 2.277 है. नहरी कृषि भूमि में से किला नम्बर 10, 11, 20, 21(प्रत्येक में 0.253 है.) =1.012 है. नहरी
बृजमोहन पुत्र श्री गिरधारीलाल जाति जाट निवासी गांव नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)	चक 2 एच एच द्वितीय पटवार हल्का नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 49/35 के मुरब्बा नम्बर 6 की कुल 2.277 है. नहरी कृषि भूमि में से किला नम्बर 8, 9, 12, 19, 22 (प्रत्येक में 0. 253 है.) = 1.265 है. नहरी

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 घरेलू बंटवारा द्वारा अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काश्त है। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादी को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है। उक्त विभाजन में आई भूमि वादी के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादी को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है । वादी उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही इस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा, डिग्गी, कैटल शैड, पैक हाउस आदि की सुविधा ले सकता है ।

प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है इसलिए वादी अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है । वादी ने, प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 02/09/2020 को, वादी को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू प्रतिवादी संख्या 3 से सम्पर्क किया तो उन द्वारा श्रीमान जी न्यायालय में वाद पत्र पेश कर विभाजन घोषित करवाने की हिदायत दी गई लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया है । यही बिनाय मुखास्मत है।

अतः वाद पत्र पेश करने निवेदन है कि वादी का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :–

(क) कि प्रतिवादी सं. 1 बृजमोहन पुत्र गिरधारीलाल के नाम दर्ज चक 2 एच एच द्वितीय पटवार हल्का नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 49/35 के मुरब्बा नम्बर 6 की कुल 2.277 है. नहरी कृषि भूमि में से

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

किला नम्बर 10, 11, 20, 21(प्रत्येक में 0.253 है.) =1.012 है. नहरी वादी हरीश ताखर पुत्र बृजमोहन की घोषित की जावे ।

(ख) उक्त बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे तथा अलग–अलग लगान कायम किया जावे।

(ग) वादी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में समझे दिलवाया जावे ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा इकबालियां जवाबदावा पेश किया जिसके अनुसार जवाब वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर, मेरे पिताजी बृजमोहन पुत्र गिरधारीलाल के नाम दर्ज चक 2 एच एच द्वितीय पटवार हल्का नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 49/35 के मुरब्बा नम्बर 6 की कुल 2.277 है. नहरी कृषि भूमि में से किला नम्बर 10, 11, 20, 21(प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 1.012 है. नहरी वादी हरीश ताखर पुत्र बृजमोहन की घोषित की घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे ।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इकबालियां जवाबदावा पेश किया जिसके अनुसार जवाब वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर, चक 2 एच एच द्वितीय पटवार हल्का नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 49/35 के मुरब्बा नम्बर 6 की कुल 2.277 है. नहरी कृषि भूमि में से किला नम्बर 10, 11, 20, 21(प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 1.012 है. नहरी कृषि भूमि वादी हरीश ताखर पुत्र श्री बृजमोहन की घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे ।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

–:: आदेश ::–

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी अर्थात वादी की माता का सहमति पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 1 का कुर्सीनामा प्रमाण पत्र पेश किया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 ग्राम 2 एच एच द्वितीय, पटवार हल्का नेतेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 49/35, वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादी संख्या 1 (वादी के पिता) के नाम विरासतन इन्तकाल ग्राम 2 एच एच द्वितीय, पटवार हल्का नेतेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र नेतेवाला

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

तहसील व जिला श्रीगंगानगर की प्रमाणित प्रतियां पेश की। उक्त दस्तावेजात एवं जमाबंदी व विरास्तन इंतकाल के अवलोकन करने से उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक होना सिद्ध होता है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार से हैं। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है, एवं वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक समझौता हो चुका है।

'राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।'

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र आपसी सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर वादी हरीश ताखर पुत्र बृजमोहन को प्रतिवादी सं. 1 बृजमोहन पुत्र गिरधारीलाल के नाम दर्ज चक 2 एच एच द्वितीय पटवार हल्का नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 49/35 के मुरब्बा नम्बर 6 की कुल 2.277 है. नहरी कृषि भूमि में से किला नम्बर 10, 11, 20, 21(प्रत्येक में 0.253 है.) =1.012 है. नहरी कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2021 को जारी किया जाकर अधिवक्ता पक्षकारान को बुलाकर सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner